राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4499/2018

ओम प्रकाश शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर।
2. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) भरतपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) घौलपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, (माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.10.2018
आदेश की दिनांक : 06.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.सी. जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति पी.टी.आई के पद पर दिनांक 06.09.1960 को हुई थी तथा अपीलार्थी को दिनांक 07.10.1978 को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 24.06.1980 को उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पद पर लगा दिया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 05.08.1980 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी में कार्यग्रहण कर लिया तथा दिनांक 30.11.1993 को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर के कार्यालय से उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पद से सेवानिवृत्त हुआ। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1976, 1983, 1987 एवं 1989 में दो वेतन श्रृंखलायें निर्धारित की गयी थी जो व्यक्ति भर्ती के लिये सुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षित अर्हता ना रखते हों उनके लिये वेतनमान नम्बर 18 एवं जो व्यक्ति भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षित अर्हता रखते हैं उनको वेतनमान नम्बर–19 निर्धारित किया गया था (अनुलग्नक–1)। विभाग में दो वेतनमान विसंगतियों के कारण केवल स्नातक अधिकारियों ने नियमों में संशोधन के लिये काफी संघर्ष किया तत्पश्चात राजस्थान सेवा नियम में दिनांक 30.12.1982 को संशोधन करते हुए ''सैकंड क्लास'' शब्द हटा दिया। उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) की योग्यता एक हो गयी तो वेतन श्रृंखला भी एक ही होनी चाहिये। इस संबंध में काफी पत्राचार भी किया गया। इसी क्रम में शिक्षा विभाग राजस्थान कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने दिनांक 12–02–1990 द्वारा

राजस्थान सरकार को पत्र भेजा जिसमें निवेदन किया गया कि समस्त कार्यरत उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) को समान वेतन श्रृंखला दी जावे क्योंकि सभी उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) सामान योग्यता धारक है (अनुलग्नक–3)। राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 04.06.1990 (अनुलग्नक–4) द्वारा विशेषाधिकारी ने उपर्युक्त संदर्भित पत्राचार के संदर्भ में स्वीकृति दे दी। इस प्रकार समस्त कार्यरत उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) समान पद समान कार्य एवं समान वेतन के अधिकारी हो गये। तत्पश्चात शिक्षा विभाग राजस्थान संयुक्त निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि अपने रेंज में कार्यरत समस्त उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) को राजस्थान सिविल सेवा पुर्नरीक्षित वेतनमान नियम 1989 में 2200–4000 की वेतन श्रृंखला में स्थिरीकरण करने की कार्यवाही करें क्योंकि जनवरी 1983 से सभी को योग्यता समान हो गयी हैं। तत्पश्चात नियमानुसार वरिष्ठ लेखाधिकारी प्रा एवं मा. शिक्षा मुख्यालय जयपुर ने पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989 में वेतन श्रृंखला (15) 2000–3500 के ठीक नीचे वेतन श्रृंखला (16) 2200–4000 में स्थिरीकरण कर दिया जिसमें लिखा हुआ हैं Revised शब्द अर्थात दुबारा विचार किया, दुबारा जांच की एवं सुधार किया जो कि अपीलार्थी की मूल सेवा पुस्तिका में स्पष्ट अंकित हैं। मूल सेवा पुस्तिका में अंकित प्रमाणीकरण सहित जो 05.03.1994 को की गई हैं। यह स्थिरीकरण दिनांक 01.09.1988 से ही दिया हैं। इसके बावजूद भी आज तक अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 2200–4000 का लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी के समकक्ष पद पर कार्यरत बृजेन्द्र सिंह उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) छात्र संस्थाए अलवर का स्थिरीकरण कर आगामी कार्यवाही कर सभी लाभ दे दिये गये जैसा कि उनके पुनरीक्षित वेतनमान 1987 में वेतन निर्धारण का विवरण प्रारूप से जाहिर हैं (अनुलग्नक–5)। सभी उपजिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) को जनवरी 1983 से समान योग्यता के आधार पर ही वेतनमान 1983 से स्थिरीकरण वेतन श्रृंखला 19 में कर Notional स्थिरिकरण कर दिया गया। इस प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान 1987 में सभी उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) का स्थिरीकरण करके उन्हें Notional लाभ दिया गया है तथा उसके बाद 1989 पुनरीक्षित वेतनमान में 01.09.1988 से स्थिरीकरण कर वास्तविक लाभ दिया हैं। जबकि अपीलार्थी को नहीं दिया गया है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी ने वेतन स्थिरीकरण के लिये प्रत्यर्थी विभाग को अनेक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये किन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जिस पर अपीलार्थी ने दफा 80 सीपीसी का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को दिया तत्पश्चात माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1877/2008 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.09.2008 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपील का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण दो

माह में करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त अपील के निर्णय के पश्चात अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया किन्तु विभाग ने अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया। तत्पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 18.11.2016 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अवमानना नोटिस प्रेषित किया जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.12.2016 (अनुलग्नक–8) द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण दिनांक 25.05.2009 (अनुलग्नक–9) द्वारा हो चुका हैं। उपरोक्त दोनों आदेशों में अभ्यावेदन के निरस्तीकरण का कोई कारण नहीं दिया इसलिए अपीलार्थी ने एक न्याय प्राप्ति हेतु नोटिस दिनांक 26.07.2018 (अनुलग्नक–10) द्वारा को प्रेषित किया। नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त हो गया उसकी कम्प्यूटर से प्राप्त रसीद अनुलग्नक–11 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 14.12.2016 एवं आदेश दिनांक 25.05.2009 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को दिनांक 01.09.1988 से जो पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में वेतन श्रृंखला 19 (2200–4000) लाभ दिया जाकर उसी अनुरुप स्थिरीकरण किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी दिलाया जावें।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 में उक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के पद पर पदौन्नति हेतु विहित योग्यता शारीरिक शिक्षा में अधिस्नातक या स्नातक द्वितीय श्रेणी के साथ शारीरिक शिक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/बी.एस.टी.सी. स्कूल का 10 वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है। अपीलार्थी सेवानिवृत उप जिला शिक्षा अधिकारी शाशि० विहित योग्यता नही रखते है। वित्त विभाग द्वारा जारी विहित योग्यताधारी उप जिला शिक्षा अधिकारी शाशि० के लिये पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में 2200–4000 स्केल नं0 16 की वेतन श्रृंखला दी गई। लेकिन विहित योग्यता नही रखने वाले उप जिला शिक्षा अधिकारी शाशि० को 2000–3500 स्केल नम्बर 15 प्रदान किया गया है। अपीलार्थी निर्धारित योग्याताधारी नही होने के कारण इन्हें जो राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989 में विहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन श्रृंखला 15 (2000–3500) में वेतन स्थिरीकरण किया गया है जो सही है। राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 04.06.1990 द्वारा विशेषाधिकारी ने निर्देश प्रदान किये है कि उप जिला शिक्षा अधिकारी शाशि० पद के लिये निर्धारित योग्यता रखने वाले को वेतन श्रृंखला 19 एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे लेकिन निर्धारित योग्यता नही रखने वालों को वेतन श्रृंखला 18 देय होगी। पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के अनुसार उप जिला शिक्षा अधिकारी शाशि० पद की योग्यता रखने वाले अधिकारी के लिये वेतनमान 1720–3550, 2200–4000 वेतन श्रृंखला 16 तथा अन्य के लिये 1550–3250, 2000–3500 वेतन श्रृंखला 15 निर्धारित की गई है। श्री बृजेन्द्र सिंह

उप जिला शिक्षा अधिकारी शाशि० अलवर के मामले में कही पर भी स्पष्ट नही हैं कि वे विहित योग्यतायें नही रखते है। इस कारण दोनों के मामलो में भिन्नता है। अपील संख्याः– 1877/2008 में माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निरस्तारण विभाग द्वारा दिनांक 25.05.2009 को किया जाकर अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं उपलबध दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का निवेदन है कि सेवानियमों में अधिसूचना दिनांक 30.12.1982 द्वारा निर्धारित योग्यता से ''सैकण्ड क्लास'' का अंकन हटा दिये जाने के कारण अपीलार्थी 2200–4000 की वेतन श्रृंखला का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे 2000–3500 की वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गई, जो नियमानुसार गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पी.टी.आई के पद पर वर्ष 1960 में हुई थी। उसके पश्चात वर्ष 1978 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 24.06.1980 को उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी शारीरिक शिक्षा में डिग्री/डिप्लोपा में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण नहीं है, परन्तु नियमों में अधिसूचना दिनांक 30.12.1982 द्वारा ''द्वितीय श्रेणी'' शब्द विलोपित करने के आधार पर निर्धारित योग्यता धारित करने वाले कार्मिकों के समरूप वेतन नियतन चाहते है। अपीलार्थी का निवेदन है कि राजस्थान सेवा नियम में दिनांक 30.12.1982 से ''सैकण्ड क्लास'' शब्द को हटा दिया गया। अतः दो अलग–अलग वेतनमान रखे जाकर उसको कमतर वेतनमान स्वीकृत किया जाना गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 1983 (अनुलग्नक–1) में उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के लिए निम्न वेतनमान निर्धारित किये गये हैः–

''3. उप जिला शिक्षा अधिकारी, शारीरिक शिक्षा	650–1270	860–1750	(18) उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के मुसंगत नियमों के अधीन विहित अपेक्षित अर्हता न रहते हो।
	750–1350	1000–1860	(19) उन व्यक्तियों के लिये जो भर्ती के सुसंगत नियमों के अधीन चिहित अपेक्षित अर्हता रखते हों,

इसी तरह राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान),1989 (अनुलग्नक–6) से स्पष्ट है कि उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) के लिए निम्न वेतनमान निर्धारित किये गये हैः–

3. उप जिला शिक्षा अधिकारी,	1720–3350	2200–4000	(16) उन व्यक्तियों के लिए जो राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1969 के अधीन इस पद के लिए यथा–विहित अर्हताएं या वित्त विभाग की सहमति से उच्चतर वेतनमान से जुडें विनिर्दिष्ट

		आदेश द्वारा यथाविहित अर्हताएं यथास्थिति रखते हों
1550–3250	2000–3500	(15) अन्य के लिए''

इससे स्पष्ट है कि संबंधित सेवा नियमो में शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री में द्वितीय श्रेणी की शर्त हटा दिये जाने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा पुनरिक्षीत वेतनमान नियमों में अलग–अलग वेतनमान का प्रावधान किया गया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस पद हेतु विहित अर्हताए रखने वालों को एवं निर्धारित अर्हताए धारित नहीं करने वालों के लिए पृथक–पृथक वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में निर्धारित किए गये है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों को चुनौती दी गई है। जिसको सुनने का श्रृवणाधिकारी अधिकरण को प्राप्त नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर पूर्व में अपील दायर करने पर अधिकरण ने अपील संख्या 1877/2008 में आदेश दिनांक 16.09.2008 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं उसे नियत समयावधि में निपटारा करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया गया था जिसकी पालना प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 25.05.2009 द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण किया एवं पत्र दिनांक 14.12.2018 द्वारा इसकी सूचना दी गई। हम इस अभ्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 25.05.2009 एवं सूचना पत्र 14.12.2016 जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है कोई अनियमितता नहीं पाते है। अपीलार्थी ने भी आलौच्य आदेश में कोई अनियमितता होना साबित नहीं किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से एततद्वारा अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य